न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू
पीठासीन अधिकारी अर्पिता सोनी (आरएएस)

दावा संख्या 59/2017 उनवान

1.सुमन देवी पत्नि राजकुमार धराना जाति रैगर निवासी प्लाट न0 139 गणेश विहार कालोनी मुकुन्दपुरा रोड भकरोटा जयपुर

वादीया

बनाम

1.मूल्या पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी बगडी तह0 पीपलू जिला टोंक

कुल 12 कस

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी :- श्री चतुर्भूज गुर्जर

अधिवक्ता प्रतिवादीगण :- राजाराम चौधरी प्रति0न0 1 निर्णय दिनांक :2.2.2018

दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

संक्षिप्त में प्रकरण में न्यायालय के प्राथमिक निर्णय दिनांक 3.1.2018 की पालना में तहसीलदार पीपलू से तकास्मा रिपोर्ट चाहने पर तहसीलदार पीपलू ने अपने पत्रांक 259 दिनांक 23.1.2018 से तकास्मा रिपोर्ट तैयार कर उपरोक्त आराजीयात खाता संख्या 504 में खसरा नं0 1416,1417,1418,1419,1420,1704,1705,1706,1954 कुल किता 9 कुल रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम बगडी पटवार मण्डल बगडी तह0 पीपलू जिला टोंक राज0 में स्थित भूमि का मुताबिक न्यायालय के प्राथमिक निर्णय की पालना में पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादीगण को सुचित किया गया वादी उप0 प्रतिवादी नोटिस लेने से मना किया गया जिससे न्यायालय के आदेशानुसार तकासमा रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई । ख0न0 1419 रकबा 2.00 बीघा, ख0न0 1420 रकबा 1.10 बीघा ,ख0न01416/1 रकबा 1.10 बीघा ख0न0 1704/2 रकबा 0.05 बिस्वा,ख0न0 1705 रकबा 0.04 बिस्वा,ख0न0 1954/1 रकबा 6.02 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 12.01 बीघा वाके ग्राम बगडी तह0 पीपलू में वादी सुमन देबी पत्नि राजकुमार धराना जाति रैगर के हक में । तथा ख0न0 ख0न0 1417 रकबा 2.15 बीघा, ख0न0 1418 रकबा 0.11 बीघा ,ख0न0 1416/2 रकबा 1.15 बीघा ख0न0 1704/1 रकबा 0.19 बिस्वा, ख0न0 1954/2 रकबा 6.02 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 12.02बीघा वाके ग्राम बगडी तह0 पीपलू में प्रतिवादीगण मूल्या रामजीवन पि0 भूरा मू0 चन्दरी बेबा भूरा हि01/2 विलारहन बाबूलाल पप्पू रमेश रतिराम मुकेश पि0 जमनालाल सन्तरा पुत्री जमनालाल मू0 भूली पत्नि जमनालाल हि0 1/6 धीसी कमला पुत्रिया भूरा हि01/3 कोम बैरवा रहिन बगडी के हक में तैयार कर भिजवाया गया।

प्रकण में दिनांक 23.1.2018 को प्रतिवादीगण न0 1 की और से अधिवक्ता श्री राजाराम चौधरी ने वकालत एवं प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 5(2) सी0पी0सी0 व प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में पूर्व में प्राथमिक निर्णय प्रतिवादी की अनुपंस्थिति में जारी हो गया है जिस पर सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी प्रदान की जावे । अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र व वकालत नामा शामील पत्रावली कर प्राथमिक निर्णय पर एवं सुनवाई बार- बार अवसर दिये गये अधिवक्ता प्रतिवादी ने दिनांक 2.2.2018 को प्रकरण में मौखिक बहस कर निवेदन किया है कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री किया जाता है तो प्रकरण में कोई ऐतराज नही है न ही पत्रावली में किसी प्रकार का लिखित में प्राथमिक निर्णय पर ऐतराज पेश किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया है कि खातेदार व कब्जेकाश्त की आराजीयत है। जिसमें वादीया ने उक्त भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त कर उक्त भूमि में वादीया एवं प्रतिवादीगण के हिस्से में है तथा संयुक्त खातेदार व कब्जे काश्त की भूमि जिसमें वादीया अपने हिस्से का प्रथक खाता कायम कराकर नकशा शीट में तरमीम करवाने चाहती हैं। तथा प्रतिवादीगण पिछले 24.4.2017 से जानबुझकर उप0 नही होने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यावाही की जाकर निर्णय किया गया । तथा तकासमा रिपोर्ट के समय भी प्रतिवादीगण मौके बाउजूद सूचना अनु0 रहे है एवं दिनांक 25.1.2018 को भी प्रतिवादीगण अधि0 का वकालत नामा व प्रार्थना पत्र पेश कराकर आज तक प्राथमिक निर्णय पर ऐतराज पेश नही किया गया और आज दिनांक 2.2.2018 को अधिवक्ता प्रतिवादी ने भी प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही नही करने व अन्तिम डिकी करने पर ऐतराज पेश नही करने से दावा मुताबिक तकासमा रिपोर्ट अनुसार वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत तकास्मा किया जावे तथा प्रतिवादी को हमेशा-हमेशा के लिए पाबन्द फरमाया जावे कि वादीया के हिस्से की उपरोक्त भूमि में सीमा को लेकर आपस में लडाई झगडा नही करे ।

हमने बहस अभिभाषकगण सुनी। पत्रावली में प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट का अवलोकन किया। पत्रावली में तकासमा रिपोर्ट में तहसीलदार /भू0अ0नि0 ने पक्षकारो के नोटिस में वादी एवं

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण को सूचित करने के उपरान्त प्रतिवादीगण अनु0 रहना बताया है। तथा प्रस्तुत तकासमा रिपोर्ट भी राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना में तैयार कर प्रस्तुत की गई है। तथा प्रतिवादी न0 1 के अधिवक्ता ने भी प्रकरण में किसी प्रकार की आपत्ति पेश नही कर दावा अन्तिम डिकी करने पर किसी प्रकार का कोई ऐतराज नही किया है इस कारण दावा मुताबिक तकासमा रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है कि ख0न0 1419 रकबा 2.00 बीधा, ख0न0 1420 रकबा 1.10 बीधा ,ख0न01416/1 रकबा 1.10 बीधा ख0न0 1704/2 रकबा 0.05 बिस्वा,ख0न0 1705 रकबा 0.04 बिस्वा,ख0न0 1954/1 रकबा 6.02 बीधा कुल किता 6 कुल रकबा 12.01 बीधा वाके ग्राम बगडी तह0 पीपलू में वादी सुमन देबी पत्नि राजकुमार धराना जाति रैगर के हक में रहेगा। तथा ख0न0 ख0न0 1417 रकबा 2.15 बीधा, ख0न0 1418 रकबा 0.11 बीधा ,ख0न0 1416/2 रकबा 1.15 बीधा ख0न0 1704/1 रकबा 0.19 बिस्वा, ख0न0 1954/2 रकबा 6.02 बीधा कुल किता 5 कुल रकबा 12.02 बीधा वाके ग्राम बगडी तह0 पीपलू में प्रतिवादीगण मूल्या रामजीवन पि0 भूरा मू0 चन्दरी बेबा भूरा हि0 1/2 विनारहन बाबूलाल पप्पू रमेश रतिराम मुकेश पि0 जमनालाल सन्तरा पुत्री जमनालाल मू0 भूली पत्नि जमनालाल हि0 1/6 धीसी कमला पुत्रिया भूरा हि0 1/3 कोम बैरवा रहिन बगडी के तह0 पीपलू में रहेगा। तकासमा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा । प्रतिवादी को हमेशा–हमेशा के लिए पाबन्द किया जाता है कि मजाहमत नही करे । नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पेश होने पर डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2.2.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी पीपलू

पिपलू जिला टोंक

नोट:- ख0न0 1705 में रकबा 0.04 के स्थान पर 0.14 पढ़ा जावे

उपखण्ड अधिकारी

पिपलू जिला टोंक

Scanned with CamScanner